

मिफल आमका डिपल डूल १०५ पत्र के  
आदेश के दिनांक - ६/१०/२२ के प्रिबि है

उप खण्ड अधिकारी  
चिडावा जिला ब्रह्मनू (राज.)

०६/१०/२२

पत्तावली पेश हुई। पत्तावली में आज आदेश दिनांक  
के वद प्रे में शुनी गई। वाद पत्र वादी का  
कथन है की ग्राम श्यामपुर तहसील - चिडावा में  
कृषि भूमि धरल खतार नम्बर ३९२ खण्ड १.०३  
व खतारों का ३९३ खण्ड ०.८६ है। कुल जिला  
कुल खण्ड १.८९ है। स्थल है जिले का खण्ड  
का २२५ खण्ड १६ कीलक १ विन्वा (५.०६ है)  
और अन्य जमीन भी लिखत की उक्त गल  
खतार का में खतार का ९ अमरसिंह पुगडल  
शुभेकल का वराव - वराव हिला का  
वराव का लिखा का जिले वराव की तहसील  
खण्ड का ३९२.९.३९३ खतार के एक  
हिले में है।

उप खण्ड अधिकारी  
चिडावा जिला ब्रह्मनू (राज.)

तारीख  
हवम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहम  
हुक्म  
में

उक्त जमीन के सामरसिद फौज होने पर उक्त जमीन के  
 स्वयं मधुवी प्रतिपादी ल 2 को उक्त जमीन हवा  
 हुई तथा स्वयं के फौज होने पश्चात उक्त  
 वारीसान वारीगन व मृतक सामरसिद तथा मृतक  
 मालाराम को प्राप्त हुई उक्त में यह है की पिता  
 की सम्पत्ती में पुत्र व पुत्रीको का वराधल हक व  
 हिस्सा होता है स्वयं के देदान्त होने के बाद  
 वारीगन व हिस्सा वराधल के स्वायत्त काश्तकार  
 होने के कारण वारीगन के खिलाफ गलत नामानक  
 अर्थात् 94 दिनांक 13/8/1976 के वारीगन पावजू  
 लड़ी है व मालाराम का दावा खोलाप फौज होने पर  
 विरातल का नामांतरण दिनांक 13/6/1989  
 जिले की मालाराम की वधन वारिद) ल 3 व वारी  
 ल 2 व 2 की माता का नाम भी वधन होने के धवजू  
 भी दर्ज नहीं कर कानूनी भूवा की है उक्त विवाद  
 भूमि पर वारीगन वराधल हिस्सा 1/2 का काबिज  
 काश्त व मालिक आधिकार रघा है व खोले है  
 अंतरा नं 392 व 393 के वारीगन का वराधल  
 का हिस्सा अर्थात् 0-95 हेर के स्वायत्त काश्त कार  
 है व मृतक सामरसिद के वारीसान भी हवा  
 0-94 हेर भूमि का स्वायत्त रघा है सामरसिद  
 है अपने हिस्से की उक्त भूमि में ले 0-86 हेर  
 भूमि प्रतिपादी ल 2 व 3 ल 4 व 5 को विपुत्र  
 ल है उक्त भूमि के पश्चात मृतक सामरसिद  
 के हिस्सा शेष भूमि में 0-08 हेर रही है  
 विवादित भूमि को सामरसिद के वारीगन को  
 प्राप्त हिस्से की जमीन गलत व अविधायक  
 उत्तराधिकार के अपने अपने नाम दर्ज करवा की  
 गयी जिनको भी सामरसिद के प्रतिपादी ल 2

के विवादात् पिटुप कर वी मरी, जिला डिवाइ  
विवादात् जमीन के हम शयताराम के वारीसान के अर्ज  
में हमारा बराबत का हिस्सा होने के कारण शयताराम  
नं 392 व 393 का फुल शयताराम 1.84 हेक्टेरों  
हिस्सा 1/2 एकि के कारण शयताराम नं 392  
शयताराम 1.03 हेक्टेरों 0.95 हेक्टेरों हिस्से का  
वादीगण को समुक्त रूप से शयताराम का शतकाल  
शोषित किया जाने की कृपा करे।

जिला वाइ पत्र के बरफ युनी मरी अमानगवधि  
का शयताराम किया। दावे में दर्ज बरफ का शयताराम  
पूर्व के शयताराम कर के डिप्लान्ट वाद वादी स्वीकार  
किया जाकर वाद डिक्ली किया जाता है की  
विवादात् जमीन के शयताराम के वारीसान का बराबत  
का हिस्सा होने के कारण शयताराम नं 392  
शयताराम 1.03 हेक्टेरों वाइके शयताराम शयताराम में वादीगण  
का नाम समुक्त रूप से शयताराम 0.95 हेक्टेरों का  
शयताराम का शतकाल शोषित किया जाता है इसी  
अनुसार शयताराम रिपोर्ट में दर्ज कर वादीगण का शयताराम  
विभाजन जिलागति किया जाकर शयताराम शयताराम  
शयताराम किया जाये व डिक्ली मुखिय ही  
पत्रावली में शयताराम शयताराम शयताराम नम्बर के नाम की  
जाकर दाखिल दफ्तार है।

उप खण्ड अधिकारी  
चिडावा जिला सुन्सुनू (राज.)